उत्तर प्रदेश शासन
निर्वाचन अनुभाग
संख्या: 01/2016/197/61-2016
लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अतीक अहमद सिद्दीकी को विशेष कार्याधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के नि:संवर्गीय पद पर सेवानिवृत्ति दिनांक 31-10-2011 के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0-716/61-2011, दिनांक 01-11-2011 द्वारा दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2012 तक का सेवा विस्तार प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1062/61-2012, दिनांक 10-12-2012 द्वारा दिनांक 01-11-2012 से 31-10-2013 तक के लिये पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी। तत्क्रम में विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-862/61-2013,दिनांक 31-10-2013 द्वारा पुनर्नियुक्ति अवधि दिनांक 30-6-2014, कार्यालय ज्ञाप संख्या-407/61-2014, दिनांक 07 जुलाई, 2014 द्वारा उक्त पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 31-03-2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 302/61-2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 द्वारा पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 30-06-2015 तक बढाई गई। पुन:कार्यालय ज्ञाप संख्या- 10/2015/467/61-2015, दिनांक 29 जून, 2015 द्वारा पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक बढाई गई। उक्त के क्रम में प्रदेश में मतदाता सूची शोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम तथा ई0वी0एम0 से सम्बन्धित कार्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री अतीक अहमद सिद्दीकी की पुनर्नियुक्ति अवधि दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बढाये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अतीक अहमद सिद्दीकी की सेवा शर्ते एवं अन्य प्रतिबन्ध वही होंगे जिनका कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1062/61-2012, दिनांक 10-12-2012 में उल्लेख है।

3- उपर्युक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2015- निर्वाचन-आयोजनेत्तर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय" मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से, जो उनके आशासकीय संख्या-यू0ओ0-सा-3-256/दस-2015, दिनांक 05/03/2016 में प्राप्त की गयी है, जारी किये जा रहे है।

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 01/2016/197(1)/61-2016 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।
4- सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश् शासन।
5- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- सचिव, सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ।
9- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- प्रभारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
12- सम्बन्धित अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।